



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मिश्र
Dr. Rajendra Prasad Mishra
कुलसचिव / Registrar

दूरभाष / Phone: +91-7152-242812
फैक्स / Fax: +91-7152-230903

तिथि: 005/2016/SOL/2016-17/108

दिनांक: 07.03.2016

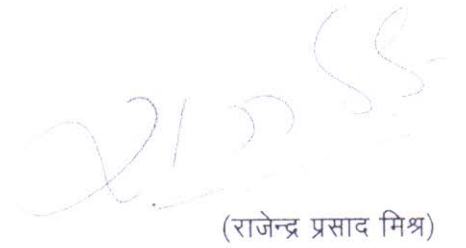
कार्यालय आदेश

विधि-विद्यापीठ के अंतर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमों के संचालन तथा 'बार काउंसिल ऑफ इंडिया एजुकेशन रूल-2008' के अनुसार पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता एवं मान्यता प्राप्त करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाई सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित समिति गठित की जाती है-

- | | |
|---|-----------|
| 1. प्रो. के. के. सिंह, संकायाध्यक्ष, साहित्य विद्यापीठ | : अध्यक्ष |
| 2. डॉ. रवीन्द्र टी. बोरकर, क्षेत्रीय निदेशक/एसोसिएट प्रोफेसर, दूर शिक्षा निदेशालय | : सदस्य |
| 3. डॉ. अशोक नाथ त्रिपाठी, सहायक प्रोफेसर, हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग | : सदस्य |
| 4. श्री संदीप कुमार वर्मा, सहायक प्रोफेसर, जनसंचार विभाग | : सदस्य |
| 5. श्री यशराज सिंह पाल, सहायक क्षेत्रीय निदेशक | : सदस्य |
| 6. डॉ. मनोज कुमार राय, सहायक प्रोफेसर, विकास एवं शांति अध्ययन विभाग | : संयोजक |

समिति से अनुरोध है कि वह अपना प्रतिवेदन यथाशीघ्र माननीय कुलपति के समक्ष प्रस्तुत करें।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निर्गत किया जाता है।


(राजेन्द्र प्रसाद मिश्र)

प्रति : संबंधित सभी को।

प्रतिलिपि:

1. कुलपति कार्यालय।
2. कुलसचिव कार्यालय।
3. वित्त कार्यालय।
4. स्थापना कार्यालय।
5. लीला प्रभारी को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
6. कार्यालय प्रति।